(वाद संख्या–**2215/14**)

20.12.2019

परिवादी, रघुवर शरण, निवासी मोहल्ला–पोखराचौक नरकटियागंज, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला वर्ष,1989–90 दाखिल खारिज अभिलेख पंजी में नरकटियागंज अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, शिवशंकर प्रसाद द्वारा कूट रचना कर अपलेखन करते हुए गुदरी साह पिता–धुप साह का नाम में जोड़ने, जमाबंदी सं0–47 में भी छेड़–छाड़ कर ''दीप'' को ''धुप'' बनाने से संबंधित है जिसके संबंध में परिवादी का कथन है कि पूर्व में उक्त कूट रचना के संबंध में तत्कालीन जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नरकटियागंज के जांच प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, श्री शिव शंकर प्रसाद (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध राजस्व अभिलेखों में छेड़–छाड़ करने के आरोप के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया तथा इसकी सूचना आयोग को दिया गया, लेकिन जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के उपरोक्त निर्देश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है तथा बाद में वर्तमान जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उपरोक्त कथित कूट रचना को लेकर पूर्व में परिवादी की ओर से मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में एक परिवाद सं0–2413सी./2012 दाखिल की गयी जिसे जांचोपरान्त खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध परिवादी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में रिविजन दाखिल किया, जो भी खारिज हो गया। जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि समान आशय के परिवादी के आयोग में दिये गये परिवाद–पत्र पर पूर्व में लोकायुक्त, बिहार के समक्ष मामला दाखिल किया गया था। लोकायुक्त, बिहार ने दिनांक–27.07.2016 को पारित आदेश द्वारा परिवादी को अपने स्वत्व हेतु सक्षम सिविल न्यायालय के

समक्ष स्वत्ववाद दाखिल करने की सलाह देते हुए मामले को संचिकास्त कर दिया गया।

परिवादी आयोग के समक्ष यह स्वीकार करते हैं कि आयोग में प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र दाखिल करने के पूर्व उसकी ओर से लोकायुक्त, बिहार के समक्ष समान आशय से संबंधित परिवाद–पत्र दाखिल किया गया था, जो सुनवाई के उपरान्त खारिज कर दिया गया।

अब, जबकि समान आशय के परिवादी के परिवाद–पत्र पर पूर्णरूप से सुनवाई करने के उपरान्त लोकायुक्त, बिहार द्वारा मामले को संचिकास्त कर, सक्षम सिविल न्यायालय में अपने विवादित मकान के स्वत्व हेतु याचिका दाखिल करने की सलाह दी गयी है तो उसी मामले में आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश दिया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। परिवादी द्वारा आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि विवादास्पद मकान को लेकर उसकी ओर से पूर्व में निष्कासन वाद–191/2002 अवर न्यायाधीश, बेतिया के न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसमें उसके पक्ष में न्यायालय decree पारित की गयी जिसके, विरूद्ध विपक्षी पन्ना लाल साह, की ओर से माननीय जिला न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी जो अस्वीकृत कर दी गयी। तत्पश्चात् उसकी ओर से अवर न्यायाधीश, बेतिया के न्यायालय में उपरोक्त डिक्री के निष्पादन हेतु निष्पादन वाद संख्या–01/2010 दाखिल की गयी जो वर्तमान में लंबित है। परिवादी द्वारा आयोग को यह भी सूचित किया गया कि उसके विपक्षी पन्ना लाल साह के भाई भीम प्रसाद की ओर से भी दाखिल खारिज अभिलेख व जमाबंदी सं0–47 में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, शिवशंकर प्रसाद द्वारा किये गये कथित कूट रचना के आधार पर विवादित सम्पत्ति के स्वत्व हेतु एक विविध वाद सं0–21/12 अवर न्यायाधीश, बेतिया के समक्ष दाखिल की गयी है जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा,

क्योंकि समान आशय के परिवादी के प्रार्थना को लोकायुक्त, बिहार व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा गुण–दोष के आधार पर अस्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही साथ परिवादी विवादित सम्पत्ति के स्वत्व/कब्जा प्राप्त करने हेतु संबंधित सक्षम सिविल न्यायालय में मामला दाखिल कर चुका है।

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक